संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/मोटर/2/1/2024

Ref No.: IRDAI/NL/CIR/MOTOR/2/1/2024

8 जनवरी, 2024 8th January, 2024

प्रति / To.

मोटर बीमा व्यवसाय करने वाले सभी साधारण बीमाकर्ता All General Insurers carrying on Motor Insurance Business

विषय: मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 को ध्यान में रखते हुए एमओआरटीएच अधिसूचनाओं का अनुपालन

Subject: Compliance with MoRTH notifications in view of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने 25 फरवरी, 2022 को निम्नलिखित राजपत्र अधिसूचनाएं प्रकाशित की हैं।

In view of the amendments carried out in the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019, Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has published following gazette notifications on 25th February, 2022.

- क. जी.एस.आर. 162 (ई) केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022
- A. G.S.R. 162 (E) Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022
- ख. जी.एस.आर. 163 (ई) टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीडित प्रतिकार स्कीम, 2022
- B. G.S.R. 163 (E) Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022
- ग. जी.एस.आर. 164 (ई) केंद्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 मोटर यान दुर्घटनााओं के अन्वेषण की प्रक्रिया
- C. G.S.R. 164 (E) Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2022 Procedure for Investigation of Motor Vehicle Accidents

मोटर बीमा व्यवसाय करने वाले सभी साधारण बीमाकर्ताओं को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को नोट करेंगे और उपर्युक्त अधिसूचनाओं के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेंगे। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में निर्धारित प्रक्रियाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।

All the General Insurers, carrying on Motor Insurance business, shall note their roles and responsibilities and strictly comply with the provisions of the above notifications. Necessary arrangements be made by the insurers for the smooth implementation of the procedures laid down in the above cited notifications.

हस्ता / Sd/-(रणदीप सिंह जगपाल / Randip Singh Jagpal) कार्यकारी निदेशक (गैर-जीवन) / ED (Non-Life)

सर्वे नं.-115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, गच्चीबाउली ,हैदराबाद –500032, भारत द्वरभाष- 91-040-2020 4000

Sy No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032, India Ph.: 91-040-2020 4000